न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—13/2021/225 (2021/13)

1. नाथूलाल पुत्र मोहनलाल, जाति ब्राहमण्, निवासी बघेरा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती लाली पत्नि स्व0 किशनगोपाल,
2. राजेश पुत्र स्व0 किशनगोपाल,
3. विनोद पुत्र स्व0 किशनगोपाल,
4. सुमन पुत्री स्व0 किशनगोपाल,
   समस्त जाति ब्राहमण, निवासी बघेरा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 24.12.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 36/2015 (2016/00364).

उपस्थितः—

1. श्री अजीत सिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 5.

निर्णय

दिनांकः— 26.8.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 24.12.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 तथा रेखा पुत्री किशनगोपाल द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र संख्या 36/2015 अपीलांट एवं राज्य सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी स्थित आराजी खसरा नंबर 6371/3638 प्रार्थीगण/रेस्पो0 की खातेदारी की आराजियात है । अपीलांटस एवं रेस्पो0 मोहनलाल पुत्र बाराबगस ब्राहमण की संताने होकर एक ही परिवार के सदस्य है जिनके मध्य पूर्व में सहमति से विभाजन हो चुका है जिससे खसरा नंबर 3638 का विभाजन किया जाकर खसरा संख्या 3638 अप्रार्थी/अपीलांट नाथूलाल के हिस्से में रखा गया तथा खसरा नंबर 6471/3638 प्रार्थीगण/रेस्पो0 के पिता किशनगोपाल के हिस्से में रखा गया लेकिन तत्समय रास्ते का अंकन नहीं किया गया जबकि खेत खसरा नंबर 3638 के दक्षिण दिशा में खसरा नंबर 4827 किस्म गैर मुमकिन रास्ता अवस्थित है जिससे प्रार्थीगण/रेस्पो0 को अपनी खातेदारी भूमि प्रार्थना पत्र अनुसार खसरा नंबर 6471/3638 एवं निर्णय अनुसार खसरा नंबर 6371/3638

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

में आने जाने हेतु अप्रार्थी/अपीलांट नाथूलाल की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 3638 की पूर्वी मेड़ पर रास्ता प्रदान किया जावे । अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से इंकार किया गया तथा अपीलांट ने काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पुश्तैनी संपूर्ण आराजियात का न्यायिक बंटवारा रिकार्ड एवं मौके पर किया जाना वांछित है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 24.12.2020 द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र धारा 251–ए स्वीकार कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने के अतिरिक्त काउन्टर वाद प्रस्तुत किया गया था एवं उसमें उभयपक्षकारान की संपूर्ण पुश्तैनी आराजियात का अंकन किया गया था क्योंकि उक्त पुश्तैनी आराजियात का रेस्पो0 के पूर्वज किशनगोपाल द्वारा अपीलांट को मुगालते में रखकर सहमति सेदिनांक 11.7.2016 को जो बंटवारा किया गया वह न्यायोचित नहीं था क्योंकि उक्त बंटवारा राजस्व मण्डल के नियम 16 से 21 के अनुसार नहीं किया गया था एव ना ही रास्ते बाबत् किसी प्रकार का निर्णय पारित किए बिना किशनगोपाल/रेस्पो0 द्वारा बंटवारा करवाया गया जो कतई न्यायोचित नहीं होने से काउन्टर क्लेम विधि अनुसार बंटवारा करने हेतु निवेदन किया गया था किन्तु अधी0न्याया0 ने का यह निष्कर्ष की प्रार्थना पत्र में काउन्टर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, के आधार पर काउन्टर क्लेम को निरस्त किया है जो विधिविरूद्ध निर्णय है । बहस में आगे कथन किया कि भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 9.1.2020 को तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 14.1.2020 को अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें रेस्पो0 संख्या 3 तन्हा का नाम अंकित है अर्थात् ना तो संपूर्ण प्रार्थीगण/रेस्पो0 की उपस्थिति दर्ज है और ना ही वर्तमान अपीलांट की उपस्थिति ही दर्ज है क्योंकि राजस्व एजेन्सी द्वारा एक तरफा में अपीलांट को सूचना प्रदान किये बिना अपीलांट की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाई गई है । यदि मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार की जाती तो अपीलांट को अवश्य जानकारी होती और अपीलांट वहां अवश्य उपस्थित होता । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट ने मौका रिपोर्ट के संबंध में ऐतराज प्रकट किये थे लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं कहा जा सकता है । खसरा नंबर 3638 के दक्षिण में लगते हुए रास्ता अवस्थित है एवं उक्त रास्ते से लगते हुए अर्थात् खसरा नंबर 3638 दोनों के मध्य अवस्थित मेड़ के दक्षिणी बिन्दु पर चाह खसरा नंबर 3639 अवस्थित है । उक्त चाह के लगते हुए पश्चिमी मेड़ से लगते हुए अपीलांट के खेत खसरा नंबर 3638 की पश्चिमी मेड़ पर आकर सभी कृषक उक्त मेड़ पर होते हुए उत्तर दिशा में गमन करते है जो खसरा नंबर 6471/3838 जो रेस्पो0 की खातेदारी की भूमि है के आगे उत्तर दिशा में अन्य खातेदारान के खेत खसरा संख्या 3640/5160, 3638/5168 तथा 3637/5162 तथा 3640 वाले कृषक उक्त चाह एवं रास्ते के दक्षिण में अवस्थित चाह खसरा नंबर 4826 से सिंचाई करते है और खसरा नंबर 3639 के पश्चिम दिशा से होते हुए खसरा नंबर 3640 एवं 3638 के मध्य अवस्थित मेड़ से होकर उत्तर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

दिशा में अवस्थित नहर तक जाता है । उक्त नहर खसरा नंबर 3640/5160, 3638/5168 तथा 3637/5162 की उत्तरी सीमा से लगते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर अवस्थित है जो मुख्य रास्ता खसरा नंबर 3529 तथा 3642 को क्रोस कर पश्चिम दिशा में आगे निकल जाती है । उक्त नहर के लगते हुए उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम तक रास्ता बना हुआ है । उक्त नहर के किनारे–किनारे अवस्थित रास्ते से खसरा नंबर 3529 तथा 3642 जो रास्ता भूमि है में आकर उक्त रास्ते से लगते हुए पश्चिम दिशा में अवस्थित रास्ता खसरा नंबर 3645 में होते हुए ग्राम की आबादी में सभी कृषक प्रवेश करते है और इसी रास्ते का उपयोग सदिया से कृषक करते आ रहे है । उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाते हुए अपूर्ण तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसे अधी0न्याया0 ने स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । मौके पर चाह खसरा नंबर 3639 की पश्चिम दिशा से लगता हुआ पगडण्डी रास्ता खसरा नंबर 3640 व 3838 के मध्य अवस्थित मेड़ से होकर उत्तर दिशा में अवस्थित नहर तक आज भी उपयोग उपभोग में लिया जा रहा है । इस महत्वपूर्ण तथ्य को भी छिपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है । राजस्व एजेन्सी द्वारा भी एकतरफा में झूंठी एवं मौके की वास्तविक भौतिक स्थिति के विपरीत मौका रिपोर्ट पेश की है । रेस्पो0 को वर्तमान में भौतिक रूप से उपयोग उपभोग में ली जा रही पगडण्डी जो खसरा नंबर 3640 एवं 3638 के मध्य अवस्थित मेड़ पर अवस्थित है जो चाह खसरा नंबर 3639 से उत्तर दिशा में मेड पर होते हुए गमन करती है अर्थात् अपीलांट की पश्चिमी मेड़ पर होकर यदि रेस्पो0 को रास्ता दिया जाता है तो पगडण्डी मार्ग को शामिल करते हुए ही वर्तमान में उपयोग उपभोग में लिया जा रहा पगदण्डी मार्ग की चौड़ाई बढ़ाकर 12 फुट चौड़ा रास्ता कायम किया जा सकता है जो कृषि कार्य के लिए पर्याप्त है एवं उक्त रास्ता भूमि के बदले अपीलांट को रेस्पो0 की खातेदारी की भूमि निर्णय अनुसार खसरा नंबर 6371/3638 एवं प्रार्थना पत्र अनुसार 6471/3638 की दक्षिणी सीमा पर उतनी ही भूमि मापकर अपीलांट को अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3638 की उत्तरी सीमा से लगती हुई रेस्पो0 के खेत में पूर्व से पश्चिम मेड़ बनाते हुए प्रदान की जाती है तो भी प्रार्थी सहमत है। रेस्पो0 की खातेदारी की भूमि पर पूर्व से ही रिकार्डेड रास्तों के अवस्थित होने के बावजूद जहा–जहां रेस्पो0 अपनी खातेदारी की भूमि में प्रवेश करते आये है उन पड़ौसी खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना अपीलांट की भूमि को नष्ट करने के इरादे से तथ्यों को छिपाते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । बहस में यह भी कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रार्थिया संख्या 5 के रूप में रेखा पुत्र किशनगोपाल को पक्षकार बनाया गया है जबकि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय में प्रार्थीग्ण के रूप में रेखा पुत्री किशनगोपाल को अंकित नहीं किया गया है जबकि आदेशिका के अनुसार उसका नाम तर्क किया जाना कतई संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में आदेश 1 जा0दी0 के विपरीत निर्णय पारित किया है जो आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 ने बहस में कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 6471/3638 रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की आराजियात है जिसमें आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 4827 किस्म गै0मु0 रास्ता से प्रारंभ होकर अप्रार्थीगण की आरी खसरा नंबर 3638 के पूर्वी और की मेड़ में से होता हुआ प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 6471/3638 तक पहुंचता है । उक्त रास्ता कदीमी है तथा लगभग 30 फुट चौड़ा है तथा इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की आराजी में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है । अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा उक्त रास्ते में बार–बार रूकावट

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

किये जाने से प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है । दिनांक 11.7.2016 को जरिये सहमति वर्णित आराजियात के पीछे का हिस्सा रेस्पो0 को दिया गया था तथा विभाजन में आने जाने हेतु उक्त कदीमी रास्ता छोड़ा गया था । बहस में आगे कथन किया कि यदि अपीलांट पूर्व में किये गये बंटवारे से असंतुष्ट है तो इन्हें उक्त बंटवारे को सक्षम न्यायालय में चुनौती देनी चाहिये थी जो आज दिवस तक नहीं दी गई है । अपीलांटस का यह कथन कि रेस्पो0 वर्तमान में भौतिक रूप से उपयोग उपभोग में ली जा रही पगडण्डी जो खसरा नंबर 3640 व 3638 के मध्य अवस्थित मेड़ पर अवस्थित है जो चाह खसरा नंबर 3639 से उत्तर दिशा में मेड़ पर होते हुए गमन करती है अर्थात् अपीलांट की पश्चिमी मेड़ पर होकर यदि रेस्पो0 को रास्ता दिया जाता है तो पगडण्डी मार्ग को शामिल करते हुए ही वर्तमान में उपयोग उपयोग में लिया जा रहा पगडण्डी मार्ग की चौड़ाई बढ़ाकर 12 फुट चौड़ा रास्ता कायम किया जा सकता है जो कृषि कार्य के लिए पर्याप्त है, उचित नही है क्योंकि अपीलांट ने उक्त कथन अधी0न्याया0 के समक्ष नहीं उठाकर अपील में लिये है जो स्वीकार्य नही है । जहां तक रेखा पुत्री किशनलाल को निर्णय में प्रार्थीगण के रूप में रेखा पुत्री किशनगोपाल को अंकित नहीं करने का प्रश्न है यह एक तकनीकी त्रुटि है जिससे निर्णय प्रभावित नहीं होता है । बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांट ने काउन्टर क्लेम के आदेश के विरूद्ध पृथक से कोई अपील पेश नहीं की है जबकि विधिनुसार काउन्टर क्लेम में पारित आदेश के विरूद्ध अपीलांटस को पृथक से अपील पेश करनी चाहिये थी । यह भी कथन किया कि धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के प्रार्थना पत्र की कार्यवाही एक समरी प्रोसिडिंग्स है जिसमें काउन्टर क्लेम पेश नहीं किया जा सकता है। धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में काउन्टर क्लेम के माध्यय से अपीलांट बंटवारे का अनुतोष प्राप्त नही कर सकता है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 स्वीकार किया है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 पेश कर स्वंय की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 6471/3638 रकबा 0.17 है0 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 4827 किस्म गै0मु0 रास्ता से प्रारंभ होकर अप्रार्थीगण/अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 3638 के पूर्वी ओर की मेड में से होता हुआ रास्ते का अनुतोष चाहा था । अप्रार्थी/अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 251–ए के जवाब के साथ काउन्टर क्लेम अंतर्गत धारा 188, 88, 92–ए व 53 राज0काश्त0अधि0 एवं आदेश 8 नियम 'ए जा0दी0 के तहत पेश कर कथन किया कि विवादित आराजियात प्रार्थीगण व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है । उक्त पुश्तैनी आराजी का बंटवारा उक्त आराजियात के रास्तो पर स्थित अनुसार नहीं किया जाकर अवैध एवं गैर कानूनी तरीके से किया मिलीभगत कर अप्रार्थी संख्या 1 को उसके हक व हिस्से की आराजी में नुकसान पहुंचाने व वंचित करने की नियत से किया गया । अतः वादवर्णित आराजियात का बंटवारा मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार रास्तो की स्थिति के अनुरूप किया जावे ।

7. अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार, केकड़ी से विवादित आराजियात के संबंध में मौका रिपोर्ट तलब की है । तहसीलदार, केकड़ी ने मौका रिपोर्ट दिनांक 14.1.2020 को प्रेषित की है

जिसमें अंकित किया है कि " मुताबिक संयुक्त रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक बघेरा एवं पटवारी हल्का, बघेरा के खसरा नंबर 6471/3638 में जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं है । पूर्व में खसरा नबर 3638 मूल खसरा था जिसका विभाजन से दो नंबर बने है, जिसमें नक्शे में तरमीम हो गई है जिसके अनुसार खसरा नंबर 3638 के मूल रकबा में से अंदर विभाजित खसरा नंबर 6471/3638 में जाने हेतु रास्ता नहीं छोड़ा गया था । खसरा नंबर 6471/3638 में जाने हेतु खसरा नंबर 3638 के पूर्वी मेड़ के सहारे–सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर रास्ता दिया जाना उचित है।" भू–अभिलेख की उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 की आराजी खसरा संख्या 6471/3638 में आवागमन हेतु कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत खातेदार काश्तकार की आराजी में आवागमन का कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने तथा रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने पर निकटतम रास्ता दिये जाने का प्रावधान है । जहां तक अपीलांट का यह कथन कि अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 3638 की उत्तरी सीमा से लगती हुई रेस्पो0 के खेत में पूर्व से पश्चिम मेड़ बनाते हुए रास्ता दिया जाता है तो अपीलांटस इससे सहमत है । इस संबंध में रेस्पो0 ने कथन किया है कि अपीलांटस जिस पश्चिमी मेड़ से रास्ता दिये जाने का कथन अपील में कर रहे है जो कि अधी0न्याया0 में पेश किये गये कथनों से भिन्न होकर नयी प्लीडिग्स है । अपीलांट की आराजी की पश्चिमी मेड़ से आगे गै0मु0चाह खसरा संख्या 3639 है जिसमें से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है । हम विद्वान वकील रेस्पो0 के इस कथन से सहमत है । अधी0न्याया0 ने धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 की मंशा के अनुरूप ही प्रार्थीगण/रेस्पो0 की आराजी में रास्ते के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् आदेश है । जहां तक अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का प्रश्न है यदि अपीलांट पूर्व में किये गये बंटवारे से असंतुष्ट है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में उक्त बंटवारे को चुनौती देनी चाहिये । हस्तगत प्रकरण धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 का है । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के प्रार्थना पत्र में काउन्टर क्लेम पेश किये जाने का प्रावधान नहीं है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से अप्रार्थी का काउन्टर क्लेम खारिज किया है एवं अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 स्वीकार किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.12.2020 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 26.8.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर